

कर भिन्न राजस्व

कर राजस्व			वास्तविक	बजट	संशोधित	(₹ करोड़)
मुख्य शीर्ष			2018-2019	2019-2020	2019-2020	बजट
						2020-2021
ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ						
1. ब्याज प्राप्तियां						
1.01.	राज्य	0049	7362.66	5494.94	4610.63	5313.20
1.02.	संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल युक्त)	0049	39.91	365.40	60.02	60.02
1.03.	अन्य ब्याज प्राप्तियां	0049	19741.11	22150.89	45849.68	31968.82
1.03.01.	घटाइए व्यय के प्रति घटाई गई प्राप्तियां	0049	-14999.09	-14300.00	-39493.25	-26300.00
<i>निवल-ब्याज प्राप्तियां</i>			<i>12144.59</i>	<i>13711.23</i>	<i>11027.08</i>	<i>11042.04</i>
2. लाभांश और लाभ						
2.01.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम और अन्य निवेशों से लाभांश	0050	43052.10	57486.88	48256.41	65746.96
2.02.	भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लाभांश/अधिशेष लाभ	0050	70368.41	106041.56	151636.51	89648.51
<i>जोड़-लाभांश और लाभ</i>			<i>113420.51</i>	<i>163528.44</i>	<i>199892.92</i>	<i>155395.47</i>
जोड़-ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ			125565.10	177239.67	210920.00	166437.51
राजकोषीय सेवाएं						
3. राजकोषीय सेवाएं						
3.01.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल (सिक्कों के परिचालन से लाभ)	0046	514.49	300.00	530.00	560.00
3.02.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0047	229.22	125.50	173.65	190.80
<i>जोड़-राजकोषीय सेवाएं</i>			<i>743.71</i>	<i>425.50</i>	<i>703.65</i>	<i>750.80</i>
जोड़-राजकोषीय सेवाएं सामान्य सेवाएं			743.71	425.50	703.65	750.80
4. सामान्य सेवाएं						
4.01.	प्रशासनिक सेवाएं					
4.01.01.	लोक सेवा आयोग	0051	84.06	103.50	87.00	92.00
4.01.02.	पुलिस	0055	8280.72	10366.10	8610.70	9260.75
4.01.03.	पूर्ति और निपटान	0057	0.28	0.05
4.01.04.	लेखन सामग्री और मुद्रण	0058	47.04	29.54	15.47	15.59
4.01.05.	लोक निर्माण कार्य	0059	302.47	373.03	583.03	595.03
4.01.06.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0070	6935.86	7786.43	6708.78	7246.91
4.01.07.	जेलें	0056	0.02
<i>जोड़-प्रशासनिक सेवाएं</i>			<i>15650.45</i>	<i>18658.65</i>	<i>16004.98</i>	<i>17210.28</i>
4.02.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां					
4.02.01.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	0071	1613.28	2712.93	2633.29	2609.98
4.02.02.	घटाइए प्राप्तियां	0071	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
<i>निवल-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां</i>			<i>1613.28</i>	<i>1712.93</i>	<i>1633.29</i>	<i>1609.98</i>
4.03.	विविध सामान्य सेवाएं					
4.03.01.	विविध सामान्य सेवाएं	0075	21748.08	21527.76	23795.26	23008.56
4.03.02.	घटाइए वाणिज्यिक विभाग कैंटीन स्टोर्स विभाग की प्राप्तियां	0075	-19469.67	-18450.00	-19703.00	-20208.00
<i>निवल-विविध सामान्य सेवाएं</i>			<i>2278.41</i>	<i>3077.76</i>	<i>4092.26</i>	<i>2800.56</i>
4.04.	रक्षा सेवाएं					
4.04.01.	रक्षा सेवाएं सेना	0076	3544.51	2879.76	3882.75	3616.40
4.04.01.01.	प्राप्तियां घटाइए	0076	-3544.51	-2879.76	-3882.75	-3616.40
<i>निवल</i>			<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
4.04.02.	रक्षा सेवाएं नौसेना	0077	882.64	500.00	700.00	600.00
4.04.02.01.	प्राप्तियां घटाइए	0077	-882.64	-500.00	-700.00	-600.00
<i>निवल</i>			<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2018-2019	बजट 2019-2020	संशोधित 2019-2020	(₹ करोड़) बजट 2020-2021
4.04.03.	रक्षा सेवाएं वायु सेना	0078	1079.29	1000.00	1300.00	1300.00
4.04.03.01.	प्राप्तियां घटाइए	0078	-1079.29	-1000.00	-1300.00	-1300.00
	<i>निवल</i>	
4.04.04.	रक्षा सेवाएं आयुध कारखाने	0079	2191.49	2581.19	3012.50	3233.08
4.04.04.01.	प्राप्तियां घटाइए	0079	-2191.49	-2581.19	-3012.50	-3233.08
	<i>निवल</i>	
4.04.05.	रक्षा सेवाएं अनुसंधान और विकास	0080	613.06	400.00	400.00	300.00
4.04.05.01.	प्राप्तियां घटाइए	0080	-613.06	-400.00	-400.00	-300.00
	<i>निवल</i>	
	<i>निवल-रक्षा सेवाएं</i>	
	<i>निवल-सामान्य सेवाएं</i>		19542.14	23449.34	21730.53	21620.82
	जोड़-सामान्य सेवाएं		19542.14	23449.34	21730.53	21620.82
	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं					
5.	सामाजिक सेवाएं					
5.01.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0202	342.19	347.19	386.11	406.64
5.02.	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0210	677.65	678.08	896.53	896.25
5.03.	परिवार कल्याण	0211	12.89	15.08	17.12	17.12
5.04.	आवास	0216	235.58	279.59	322.87	333.31
5.05.	शहरी विकास	0217	...	0.01
5.06.	सूचना और प्रचार प्रसार	0220	57.53	59.35	55.33	47.55
5.07.	प्रसारण	0221	1319.80	2766.67	1371.25	1962.25
5.08.	श्रम और रोजगार	0230	33.67	34.08	605.39	604.83
5.09.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0235	1.87	0.36	0.58	0.64
5.10.	अन्य सामाजिक सेवाएं	0250	398.72
5.10.01.	घटाइए-प्राप्तियां	0250	-81.62
	<i>निवल-सामाजिक सेवाएं</i>		2998.28	4180.41	3655.18	4268.59
	जोड़-सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं		2998.28	4180.41	3655.18	4268.59
	आर्थिक सेवाएं					
6.	आर्थिक सेवाएं					
6.01.	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप					
6.01.01.	फसल कार्य	0401	430.03	614.55	602.90	623.90
6.01.02.	पशु पालन	0403	33.43	20.97	24.35	25.91
6.01.03.	डेयरी विकास	0404	359.24	410.80	390.54	415.40
6.01.03.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - दिल्ली दुग्ध योजना	0404	-359.20	-410.40	-390.27	-415.00
	<i>निवल</i>		0.04	0.40	0.27	0.40
6.01.04.	मात्स्यिकी	0405	3.08	4.00	3.91	4.21
6.01.05.	वानिकी एवं वन्य जीवन	0406	33.24	38.00	51.98	52.38
6.01.05.01.	प्राप्तियां घटाइए	0406	-5.92	-8.00	-9.38	-9.78
	<i>निवल</i>		27.32	30.00	42.60	42.60
6.01.06.	खाद्य भंडारण और भांडागार	0408	540.53	6.91	600.22	660.25
6.01.06.01.	प्राप्तियां घटाइए	0408	-95.62
	<i>निवल</i>		444.91	6.91	600.22	660.25
6.01.07.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0415	...	0.02
6.01.08.	अन्य कृषि कार्यक्रम	0435	22.27	23.55	19.50	19.50
6.01.09.	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	0552	3.45
	<i>निवल-कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप</i>		964.53	700.40	1293.75	1376.77
6.02.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण					
6.02.01.	वृहत और मध्यम सिंचाई	0701	27.48	42.00	41.00	42.00

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2018-2019	बजट 2019-2020	संशोधित 2019-2020	(₹ करोड़) बजट 2020-2021
6.02.02.	लघु सिंचाई	0702	2.97	1.80	2.20	2.50
	जोड़-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		30.45	43.80	43.20	44.50
6.03.	ऊर्जा					
6.03.01.	विद्युत	0801	3651.31	4270.48	3447.64	3681.20
6.03.01.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - ईंधन	0801	-2420.54	-2373.06	-2416.67	-2534.97
	माल सूची					
	निवल		1230.77	1897.42	1030.97	1146.23
6.03.02.	पेट्रोलियम	0802	14197.38	16930.27	12060.89	14075.14
6.03.03.	कोयला और लिग्नाइट	0803	104.38	3197.85	3202.30	3203.85
6.03.04.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	0810	0.04	0.12	0.06	0.06
	निवल-ऊर्जा		15532.57	22025.66	16294.22	18425.28
6.04.	उद्योग और खनिज					
6.04.01.	ग्राम और लघु उद्योग	0851	89.91	23.18	25.83	25.83
6.04.02.	उद्योग	0852	2068.71	2557.87	2728.04	3411.39
6.04.02.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - ईंधन	0852	-868.71	-2286.29	-2286.29	-2977.95
	फैब्रिकेशन सुविधाएं					
6.04.02.03.	सेक्टर में अन्य प्राप्तियां घटाइए	0852	-983.18
	निवल		216.82	271.58	441.75	433.44
6.04.03.	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0853	287.55	377.29	570.92	510.92
6.04.04.	अन्य उद्योग	0875	155.69	150.00	150.00	150.00
6.04.04.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए -	0875	-155.69	-150.00	-150.00	-150.00
	अफीम और क्षारोद निर्माणियां					
	निवल	
	निवल-उद्योग और खनिज		594.28	672.05	1038.50	970.19
6.05.	परिवहन					
6.05.01.	पत्तन और दीपस्तंभ	1051	307.14	320.00	320.00	320.00
6.05.01.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए -	1051	-293.98	-320.00	-320.00	-320.00
	प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत					
	निवल		13.16
6.05.02.	पोत परिवहन	1052	98.41	121.29	138.26	142.15
6.05.03.	नागर विमानन	1053	133.54	115.51	420.05	473.05
6.05.04.	सड़क और पुल	1054	19866.00	20339.64	21588.61	25160.66
6.05.05.	अंतर्देशीय जल परिवहन	1056	24.72
6.05.06.	डाक प्राप्तियां	1201	13195.68	19203.29	19203.29	18710.05
6.05.06.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - डाक	1201	-13195.68	-19203.29	-19203.29	-18710.05
	निवल	
	निवल-परिवहन		20135.83	20576.44	22146.92	25775.86
6.06.	संचार					
6.06.01.	अन्य संचार सेवाएं	1275	40815.73	50519.81	58989.64	133027.20
6.07.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण					
6.07.01.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	1401	115.16	99.06	103.38	99.14
6.07.02.	अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	1425	1605.16	2208.99	1414.36	1547.28
	जोड़-विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण		1720.32	2308.05	1517.74	1646.42
6.08.	सामान्य आर्थिक सेवाएं					
6.08.01.	विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं	1453	313.38	252.90	344.87	344.87
6.08.02.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1475	3776.51	7619.94	3761.96	7208.81
6.08.03.	पर्यटन	1452	18.73	10.00	5.00	5.00
6.08.04.	नागरिक आपूर्ति	1456	0.10	0.15	0.12	0.12
	जोड़-सामान्य आर्थिक सेवाएं		4108.72	7882.99	4111.95	7558.80
	निवल-आर्थिक सेवाएं		83902.43	104729.20	105435.92	188825.02

			(₹ करोड़)			
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2018-2019	बजट 2019-2020	संशोधित 2019-2020	बजट 2020-2021	
7. रेल राजस्व						
7.01.	भारतीय रेलवे विविध प्राप्तियां	1001	600.79	260.00	436.00	300.00
7.01.01.	घटाइए विविध प्राप्तियां	1001	-600.79	-260.00	-436.00	-300.00
7.02.	भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइनें	1002	187738.49	214590.13	203734.90	223397.37
7.02.01.	घटाइए प्राप्तियां	1002	-187738.49	-214590.13	-203734.90	-223397.37
7.03.	भारतीय रेलवे सामरिक लाइनें	1003	2168.08	2084.87	2098.10	2215.63
7.03.01.	घटाइए प्राप्तियां	1003	-2168.08	-2084.87	-2098.10	-2215.63
<i>निवल- रेल राजस्व</i>		
जोड़-आर्थिक सेवाएं			83902.43	104729.20	105435.92	188825.02
सहायता-अनुदान तथा अंशदान						
8. सहायता अनुदान और अंशदान						
8.01.	विदेश अनुदान सहायता					
8.01.01.	बहुपक्षीय					
8.01.01.01.	एशियाई विकास बैंक	1605	16.08	14.00	15.00	10.00
8.01.01.02.	अंतर्राष्ट्रीय कृषि निधि	1605	0.04	1.00	10.00	10.00
8.01.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	1605	86.45	82.00	40.00	35.00
8.01.01.04.	यूरोपीयन यूनियन	1605
<i>जोड़-बहुपक्षीय</i>			<i>102.57</i>	<i>97.00</i>	<i>65.00</i>	<i>55.00</i>
8.01.02.	द्विपक्षीय					
8.01.02.01.	फ्रांस	1605	6.49
8.01.02.02.	जर्मनी	1605	5.76	10.00	16.00	10.00
8.01.02.03.	जापान	1605	46.75	33.00	20.00	25.00
<i>जोड़-द्विपक्षीय</i>			<i>59.00</i>	<i>43.00</i>	<i>36.00</i>	<i>35.00</i>
8.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय निकाय					
8.01.03.01.	वैश्विक पर्यावरण निधि	1605	646.54	500.00	250.00	300.00
8.01.03.02.	यूएनडीपी	1605	25.09	10.00	10.00	10.00
<i>जोड़-अंतर्राष्ट्रीय निकाय</i>			<i>671.63</i>	<i>510.00</i>	<i>260.00</i>	<i>310.00</i>
<i>जोड़-विदेश अनुदान सहायता</i>			<i>833.20</i>	<i>650.00</i>	<i>361.00</i>	<i>400.00</i>
8.02.	सहायता सामग्री और उपस्कर	1606	229.99	356.00	613.00	412.00
<i>जोड़-सहायता अनुदान और अंशदान</i>			<i>1063.19</i>	<i>1006.00</i>	<i>974.00</i>	<i>812.00</i>
जोड़-सहायता-अनुदान तथा अंशदान			1063.19	1006.00	974.00	812.00
संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व						
9. संघ राज्य क्षेत्रों का कर-भिन्न राजस्व		1710	1889.53	2149.00	2094.16	2302.56
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व			1889.53	2149.00	2094.16	2302.56
कुल जोड़			235704.38	313179.12	345513.44	385017.30

1.1 राज्य : राज्यों को जारी किए गए ऋणों पर ब्याज प्राप्तियों में निम्नलिखित पर ब्याज-प्राप्तियां शामिल हैं:

- (क) योजनेतर स्कीम (बाढ़ नियंत्रण) के अंतर्गत विभिन्न समयावधि के दौरान पश्चिम बंगाल, पंजाब और त्रिपुरा राज्यों को संवितरित ऋण;
- (ख) वित्त मंत्रालय द्वारा ब्याज की विभिन्न दरों पर राज्यों को संवितरित किए गए पुराने ऋणों पर अब ब्याज की एक समान दर निर्धारित की गई है;
- (ग) 20 वर्ष की परिपक्वता वाली राज्य योजना स्कीमों की सहायता के लिए संवितरित ऋण;
- (घ) राज्यों को पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए संवितरित ऋण। इसमें ब्लॉक ऋण, अन्य देशों से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों का पुनर्वास और संसाधनों के अंतराल को पाटने के लिए ऋण आदि भी शामिल हैं।

1.2. संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले) : संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) को दिए गए ऋण पर ब्याज।

1.3. अन्य ब्याज प्राप्तियां: "अन्य ब्याज प्राप्तियों" के तहत अनुमान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, पत्तन न्यासों तथा अन्य सांविधिक निकायों, सहकारी समितियों, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए अग्रिम ऋणों पर ब्याज के सम्बन्ध में और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों पर पूंजी परिव्यय हैं। इन अनुमानों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा देय अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज भी शामिल है।

- 2. लाभांश और लाभ:** इस भाग में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, लाभांश तथा लाभ शामिल हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिशेष भी शामिल हैं जो सरकार को अन्तरित किए जाते हैं।
- 3.2. अन्य राजकोषीय सेवाएं:** ये प्राप्तियां मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय ईएफएफ प्रभार, आईएमएफ से प्राप्त पारिश्रमिक आदि तथा आर्थिक अपराधों के एवज में प्राप्त शास्तियों आदि के अंशदानों से सम्बन्धित हैं।
- 4.01.01. लोक सेवा आयोग :** "लोक सेवा आयोग" की प्राप्तियां मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा शुल्क आदि को प्रदर्शित करती हैं।
- 4.01.02. पुलिस :** "पुलिस" की प्राप्तियां राज्य सरकारों तथा अन्य पक्षकारों को सप्लाई किए गए केन्द्रीय पुलिस बल के कारण हैं। इन प्राप्तियों में दिल्ली पुलिस की प्राप्तियां भी शामिल हैं।
- 4.01.03. पूर्ति तथा निपटान :** "पूर्ति तथा निपटान" के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यतः भण्डारों की खरीद तथा निरीक्षण हेतु शुल्कों, और अधिशेष और बेकार पड़े भण्डारों के पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के जरिए निपटान की विक्री आय से सम्बन्धित हैं।
- 4.01.04. स्टेशनरी तथा मुद्रण :** "स्टेशनरी तथा मुद्रण" के अन्तर्गत प्राप्तियां सरकारी मुद्रणालयों की स्टेशनरी, राजपत्र तथा सरकारी प्रकाशनों की विक्री आदि से सम्बन्धित हैं।
- 4.01.06. अन्य प्रशासनिक सेवाएं :** "अन्य प्रशासनिक सेवाएं" शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यतः लेखा परीक्षा शुल्क, पासपोर्ट एवं वीजा शुल्क आदि से सम्बद्ध हैं।
- 4.03.02. घटाइए वाणिज्यिक विभाग कैंटीन स्टोर्स विभाग की प्राप्तियां:** वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां रक्षा सेवा कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट से सम्बन्धित हैं जिन्हें व्यय बजट में वाणिज्य विभागों के निवल व्यय के अन्तर्गत दिखाया जाता है।
- 5.01. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति:** "शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति" के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यतः ट्यूशन तथा अन्य शुल्कों एवं संग्रहालयों तथा प्राचीन स्मारकों के प्रवेश शुल्क से सम्बन्धित हैं।
- 5.02. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य:** "चिकित्सा" प्राप्तियों में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से संबंधित अंशदान और अस्पतालों तथा औषधालयों की प्रदत्त सेवाओं की एवज में रोगियों से वसूल किए गए चार्ज आदि शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राप्तियों में सेवा शुल्क, सेरा तथा वेक्सिन की विक्री की प्राप्तियां आदि शामिल हैं।
- 5.03. परिवार कल्याण:** "परिवार कल्याण" प्राप्तियां मुख्यतः सामग्रियों तथा आपूर्ति की विक्री प्राप्तियों से सम्बन्धित हैं।
- 5.04. आवास:** "आवासन" प्राप्तियां मुख्यतः सरकारी आवासीय भवनों से सम्बन्धित लाइसेंस शुल्क से सम्बद्ध हैं।
- 5.06. सूचना और प्रचार प्रसार:** "सूचना तथा प्रचार" प्राप्तियों में रोजगार समाचार-पत्र और अन्य प्रकाशनों, फिल्म प्रभाग निदेशालय और आऊटरीच और संचार ब्यूरो (पहले डीएवीपी) से प्राप्तियां शामिल हैं।
- 5.07. प्रसारण :** इनमें डीटीएच ऑपरेटर्स, वाणिज्यिक सेवाओं (टीवी), वाणिज्यिक सेवाओं (एफएम) से लाइसेंस शुल्क और अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।
- 5.08. श्रम और रोजगार:** "श्रम और रोजगार" प्राप्तियां मुख्यतः श्रम कानूनों, कारखाना और खान अधिनियम आदि के अंतर्गत वसूल किए गए शुल्कों से संबंधित हैं।
- 5.09. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण:** "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" प्राप्तियां मुख्यतया केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम से सम्बन्धित हैं।
- 6.01. कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप:** इस उप-क्षेत्र में कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों, बागवानी, पौध संरक्षण सेवाओं, कृषि शिक्षा से शुल्क, कृषि उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण और श्रेणीकरण हेतु शुल्क आदि से प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। दूसरे देशों और विदेशी संगठनों से सहायता के रूप में प्राप्त बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसी निविष्टियों की विक्री आय को भी इसकी गणना में लिया जाता है।
- 6.02. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण:** इस शीर्ष के अधीन अनुमानों में, मुख्यतः केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे की प्राप्तियां आती हैं। "लघु सिंचाई" के अधीन अनुमान केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों आदि के लिए किए गए भूमिगत जल की खोज से सम्बन्धित हैं।
- 6.03. ऊर्जा:** इस शीर्ष के अधीन "विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और लिग्नाइट तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा" जैसे विभिन्न सेक्शनों से प्राप्त प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है।
- 6.03.01 "विद्युत" शीर्ष में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्राप्तियां दर्ज होती हैं।**

6.03.02 पेट्रोलियम : "पेट्रोलियम" शीर्ष के अधीन अनुमानों में अपतटीय कच्चे तेल और गैस उत्पादन लाभ पेट्रोलियम पर रॉयल्टी और किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस की अनन्य खोज के अधिकार के लिए लाइसेंस शुल्क से प्राप्तियां शामिल हैं।

(क) रॉयल्टी : खनिज तेल पर रॉयल्टी समय समय पर यथा संशोधित, आयलफिल्ड (विनियमन और विकास) अधिनियम 1948 की धारा 6क, और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 द्वारा विनियमित की जाती है। पी एंड एनजी नियमावली 1959 के नियम 14 के तहत रॉयल्टी कच्चे तेल, कन्डन्सेट और प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर देय है। ऑनलैंड क्षेत्रों से उत्पादन पर रॉयल्टी संबंधित राज्य सरकारों तथा अपतटीय क्षेत्रों से उत्पादन पर केंद्र सरकार को देय है। कच्चे तेल सहित किसी भी खनिज तेल के संबंध में रॉयल्टी की दर आयल फिल्ड अथवा वेल हेड पर जैसा भी मामला हो, खनिज तेल के बिक्री मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ख) लाभ पेट्रोलियम : लाभ पेट्रोलियम संविदागत क्षेत्र से उत्पादित और बचाए गए पेट्रोलियम के कुल मूल्य में से लागत पेट्रोलियम घटाने पर मिलता है और इसका निर्धारण और सरकार के साथ इसकी हिस्सेदारी तत्संबंधी करार/संविदा के अनुसार होती है। राष्ट्रीय तेल कम्पनियों को दिए गए नामित ब्लॉकों पर कोई लाभ पेट्रोलियम देय नहीं है।

(ग) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) शुल्क : किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस के अन्य अन्वेषण के लिए सरकार द्वारा दिए गए अधिकार के प्रतिफल के रूप में लाइसेंसधारक द्वारा पीईएल शुल्क का भुगतान किया जाता है। लाइसेंस शुल्क सामान्यतः क्षेत्र और लाइसेंस की अवधि से जुड़ा है और समय-समय पर संशोधित की गई पी एंड एनजी नियमावली 1959 के अनुसार लाइसेंसधारकों द्वारा देय है। अपतट फील्डों के मामले में, पीईएल शुल्क केंद्र सरकार के पास जाता है जबकि अभितट फील्डों के मामले में यह संबंधित राज्य सरकार को देय है।

(घ) उत्पादन स्तर भुगतान (पीएलपी) : इसका अर्थ है कोल बेड मीथेन ब्लॉकों में तत्संबंधी संविदा/करार के अनुसार एक निश्चित उत्पादन स्तर हासिल करने के बाद भारत सरकार को देय भुगतान।

6.04.01. ग्राम और लघु उद्योग: ग्रामीण और लघु उद्योग शीर्ष में औद्योगिक सम्पदाओं, लघु, हकथकरघा, खादी, हस्तशिल्प, नारियल जटा, रेशम उद्योग, विद्युत करघा और अन्य ग्राम उद्योगों से प्राप्तियां दर्ज की जाती है।

6.04.02. उद्योग: उद्योग के अधीन प्राप्तियां मुख्यतः परमाणु ऊर्जा उद्योगों और विभिन्न उद्योगों से संग्रहित लाइसेंस शुल्कों से सम्बन्धित हैं।

6.04.03. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग: अलौह अयस्क खनन और धात्विक उद्योग शीर्ष में मुख्यतः भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के मद में प्राप्तियों को समायोजित किया जाता है।

6.05.02. पोत परिवहन: पोत परिवहन शीर्ष में जहाजों और नौका सेवाओं के सर्वेक्षण और पंजीकरण शुल्क की प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है।

6.05.04. सड़क और पुल: सड़क और पुल: शीर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग के मद में प्राप्तियां शामिल हैं जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों, स्थाई पुलों के प्रयोग हेतु शुल्क तथा सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए राज्य सरकार तथा अन्य निकायों से वसूले गए विभागीय प्रभार भी शामिल हैं।

6.06.01. अन्य संचार सेवाएं: अन्य संचार सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्यतः दूरसंचार प्रचालकों से प्राप्त लाइसेंस शुल्कों और स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभारों के एवज में प्राप्त प्राप्तियों से संबंधित हैं। दूरसंचार विभाग इसके द्वारा प्रदत्त लाइसेंस वाले विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से आवर्ती लाइसेंस शुल्क संग्रहित करता है। लाइसेंस शुल्क समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की 8 प्रतिशत की दर पर लगाया जाता है जो दी गई कटौतियों जैसे पब्लिक स्विचड टेलीकॉम नेटवर्क (पीएसटीएन) प्रभार पात्र/हकदार सेवा प्रदाताओं को मिले रोमिंग प्रभार और राज्य/केंद्र सरकार को मिले बिक्री कर/सेवा कर को उक्त कंपनी के लेखापरीक्षित खातों में दर्शाए गए कुल राजस्व के आंकड़ों में से घटाकर आकलित किया जाता है।

कैप्टिव प्रयोग और कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा (सीएमआरटीएस) लाइसेंसों के लिए लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार नेटवर्कों के लिए लाइसेंस शुल्क टर्मिनलों, चैनलों की संख्या, और/या नेटवर्कों की पूंजीगत लागत के आधार पर निर्धारित की गई दरों पर उगाहा जाता है। इसके अलावा नए ऑपरेटरों से एक बारगी प्रविष्टि शुल्क भी संग्रहित किया जाता है।

सेवाओं की प्रमुख श्रेणियों में (i) बुनियादी सेवा (ii) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) (iii) एकीकृत अभिगम सेवा (यूएसएस), (iv) एकीकृत लाइसेंस, (v) अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी), (vi) राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी), (vii) इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी), (viii) वाणिज्यिक सीयूजी वीसैट लाइसेंस, (ix) पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवाएं (पीएमआरटीएस), (x) कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवाएं (सीएमआरटीएस), (xi) जीएमपीसीएस लाइसेंस, (xii) आईपीएलसी लाइसेंस की पुनः बिक्री शामिल हैं।

लाइसेंस शुल्क दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से एजीआर के प्रतिशत हिस्से के आधार पर संग्रहित किया जाता है जिसमें सार्वभौमिक अभिगम लेवी (यूएएल) का घटक शामिल है। लाइसेंस शुल्क का संग्रहण लाइसेंस शुल्क, प्रशुल्क और देश में दूरसंचार सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर पर निर्भर करता है।

विभाग वायरलेस उपस्कर को धारित करने और रेडियो स्पैक्ट्रम के प्रयोग की रॉयल्टी के लिए भी विभिन्न निकायों से लाइसेंस शुल्क संग्रहित करता है। सेवा प्रदाताओं से लिए गए प्रभार स्पैक्ट्रम प्रभारों के संदर्भ में है और इनका आकलन उनके समायोजित सकल राजस्वों की प्रतिशतता के रूप में उनके नेटवर्क (वाणिज्यिक वीसैट लाइसेंस) के लिए आवंटित स्पैक्ट्रम की मात्रा के आधार पर या फ्लैट दरों पर या सूत्र के आधार पर किया जाता है।

विभाग द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (मोबाइल वाणिज्यिक वीसैट आदि) से स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार स्पैक्ट्रम के प्रयोग के लिए उगाहा जाता है और यह उनके नेटवर्क के लिए आवंटित किए गए स्पैक्ट्रम की मात्रा के आधार पर उनके समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की प्रतिशतता के रूप में आकलित किया जाता है।

6.07.01. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान: "परमाणु ऊर्जा अनुसंधान" के अंतर्गत प्राप्तियां भाभा परमाणु शोध केन्द्र के विभिन्न प्रभागों/एककों द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा विक्री से सम्बन्धित हैं।

6.07.02. अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान: अन्य वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान" के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्यतः भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राष्ट्रीय एटलस तथा थिमेटिक मैपिंग संगठन से सम्बन्धित हैं।

6.08.01. विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं: "विदेश व्यापार तथा निर्यात सेवाएं" शीर्ष के तहत प्राप्तियां व्यापार तथा भुगतान समझौते के अन्तर्गत शेष के संबंध में भारत के पक्ष में विदेशी मुद्रा के पुनर्मूल्यांकन पर अर्जित प्राप्तियां हैं।

6.08.02. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं: "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" शीर्ष के तहत मुख्य रूप से ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के विनियमन तथा बीमा अधिनियम के तहत वसूली गई फीस शामिल है। इसमें भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग की प्राप्तियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा गैर-सरकारी निकायों को प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्त फीस और जोखिम बीमा निधि सम्बन्धी प्राप्तियां भी शामिल हैं।

7. रेल राजस्व: रेल बजट के अनुसार प्राप्तियों में (i) विविध प्राप्तियाँ (ii) वाणिज्यिक लाइनें, और (iii) सामरिक लाइनें शामिल हैं। चूंकि यह वाणिज्यिक प्राप्ति है अतः कर-भिन्न राजस्व पर इसका प्रभाव शून्य है।

8. सहायता अनुदान और अंशदान: ये अनुमान बाहरी स्रोतों से नकद तथा अन्य प्रकार से प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में हैं। बाह्य सहायता का व्यौरा अनुबंध 8 में दिया गया है।

9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व: (विधान मण्डलों रहित) संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां मुख्यतः प्रशासनिक सेवाओं, विशेषकर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लकड़ी तथा वनोत्पाद की विक्री; चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम से प्राप्त प्राप्तियां तथा पोत परिवहन से प्राप्त प्राप्तियां, पर्यटन तथा विद्युत आदि शामिल हैं।